



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102024-258070
CG-DL-E-19102024-258070

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4192]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 17, 2024/आश्विन 25, 1946

No. 4192]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2024/ASVINA 25, 1946

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4556(अ).— सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठित 2017 (2017 का 21) में यथा संशोधित, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एतद्वारा एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से पूंजीगत व्यय आउटलुक, पूंजीगत व्यय इरादा, निवेश गतिविधि आउटलुक और बड़े निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए रणनीतियाँ पर आंकड़ों के संग्रह का निर्देश देता है, जिसे इसके बाद 'कैपेक्स निवेश के इरादों पर निजी क्षेत्र का भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण' कहा गया है जो की अनुसूची-I में उल्लिखित विवरण के अनुसार है।

2. मंत्रालय उपर्युक्त निदेश के संदर्भ में उल्लिखित भौगोलिक इकाइयों के अंतर्गत अनुसूची II में उल्लिखित व्यक्तियों और उनके समनुदेशितियों को सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी अतिरिक्त महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नई दिल्ली को सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2011 से संलग्न प्रपत्र-I, यथा, निर्धारित प्रारूप में तत्काल एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा।

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2011 में संलग्न निर्धारित प्रारूप, यथा, फॉर्म-I में वचनपत्र सांख्यिकी अधिकारी को प्रस्तुत करने के बाद, उस सांख्यिकी अधिकारी के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में CAPI में वेब-आधारित इंटरफेस के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण करेगा।

4. कैपेक्स निवेश के इरादों पर निजी क्षेत्र का भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण के अनुसूची में एकत्र किए गए आंकड़ों को अतिरिक्त महानिदेशक, उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग, कोलकाता के कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रसंस्कृत किया जाएगा। सर्वेक्षण का इकाई स्तर का डेटा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

5. कैपेक्स निवेश के इरादों पर निजी क्षेत्र का भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण के संबंध में आंकड़ों के संग्रह, डेटा के प्रसंस्करण और प्रसार के संबंध में किसी भी गतिविधि में सम्मिलित सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्रावधानों द्वारा शासित हैं।

6. सांख्यिकी अधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:

(क) उपरोक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में सांख्यिकी अधिकारी आंकड़ों के संग्रहण कार्य के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्त/अधिकृत करने का प्राधिकृत है।

(ख) सांख्यिकी अधिकारी प्रत्येक सूचक को, आंकड़ों के संग्रह के उद्देश्य से निर्दिष्ट प्रारूप में सूचना देने हेतु नोटिस देने के लिए प्राधिकृत है।

अनुसूची-I

आंकड़ों के संग्रह के लिए विषय और उद्देश्य:

1. पूंजीगत व्यय दृष्टिकोण, पूंजीगत व्यय इरादे, निवेश गतिविधि दृष्टिकोण और बड़े निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए रणनीतियों से संबंधित आंकड़े कैपेक्स निवेश के इरादों पर निजी क्षेत्र का भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं।

आंकड़ों के संग्रह के लिए भौगोलिक क्षेत्र:

2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उन गांवों को छोड़कर, जहां पहुंचना मुश्किल है, पूरे भारत में कैपेक्स निवेश के इरादों पर निजी क्षेत्र के भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण किया जाता है।

डेटा संग्रह की विधि:

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सूचक को एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें उस तारीख को इंगित किया जाएगा, जिसके द्वारा, अधिकारी या कार्यालय, जिसके लिए, इकाई या इकाइयां, और प्रारूप और जिस तरीके से जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (CAPI) में वेब आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी प्रस्तुत करना और नोटिस में दिये गए एक निश्चित तारीख तक सूचक को उपलब्ध कराना शामिल है।

सूचक की प्रकृति जिनके लिए डेटा एकत्र किया जा सकता है:

4. उद्यम जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एमसीए के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

अवधि जिसके दौरान आंकड़ों का संग्रह पूरा किया जा सकता है:

5. प्रत्येक सूचक द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख नोटिस में किया जाएगा जो आम तौर पर अक्टूबर, 2024 से मार्च, 2025 के दौरान होगा।

संदर्भ अवधि:

6. 2024-25 में उद्यम द्वारा किए जाने वाले अनंतिम पूंजीगत व्यय और 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय के इरादे, निवेश गतिविधि आउटलुक और निवेश गतिविधि रणनीति पर जानकारी प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

एकत्र की जाने वाली जानकारी की प्रकृति:

7. आवश्यक जानकारी दी गई अवधि में उद्योगों की खरीदने / बेचने की क्षमता, अधिमानित / वैकल्पिक क्षेत्रों, अधिमानित राज्यों / शहरों, निवेश रणनीतियों, घरेलू / विदेशी निवेश एवं कारणों, पूंजीगत व्यय, चुनौतियों और लक्ष्यों से संबंधित है।

भाषा जिसमें सूचना सूचक द्वारा दी जानी है:

8. सूचक निर्धारित प्रारूपों में जानकारी अंग्रेजी में प्रस्तुत करेगा।

सूचक का दायित्व:

9. एक मालिक या अधिभोगी या किसी कंपनी या उद्यम का प्रभारी, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से उसके द्वारा प्राप्त नोटिस में उल्लिखित तरीके से और तारीख तक जानकारी प्रस्तुत करेगा। उसे निरीक्षण के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करेगा, और मांगी गई जानकारी के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देगा, जैसा कि सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवश्यक हो।

व्यावसायिक रिकॉर्ड की प्रकृति और अन्य रिकॉर्ड जिनका निरीक्षण किया जा सकता है:

10. व्यावसायिक रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्ड का पहले से निरीक्षण नहीं किया जाएगा। हालांकि, संदेहास्पद मामलों में, आधिकारिक व्यावसायिक रिकॉर्ड को संदर्भित करने की आवश्यकता हो सकती है।

अनुसूची-II

क्रम सं.	सांख्यिकी अधिकारी	कार्यक्षेत्र	पता
1	डॉ. हरदीप सिंह चोपड़ा, उपमहानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, जयपुर	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) और लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.प्र.स.का. भवन, प्लॉट नंबर 55, केशव नगर, लेन 3, हवा सड़क, सिविल लाइन, जयपुर 302019
2	श्री हिम्मत सिंह राघव उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली	पंजाब	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), बिल्डिंग नं०-418, बल्क मटिरियल मार्केट, सैक्टर-65, फ़ेस-II एस.ए.एस. नगर मोहाली-160065
3	श्री कैलाश जी० शर्मा उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	हरियाणा, एवं चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) एवं हिमाचल प्रदेश	रा.प्र.स.का (क्षे.सं.प्र.), छठा तल, केंद्रीय सदन, से. 9-ए, चंडीगढ़-160017
4	श्री नीतीश कुमार उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	दिल्ली	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), सांख्यिकी भवन, डी. ब्लाक, चौथातल, जी.पी.ओ.ए. बिल्डिंग, सी.बी.डी. शाहदरा, नजदीक कडकडूमा कोर्ट, दिल्ली-110032
5	डा. हंसराज यादव उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	राजस्थान	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), 70/149-154, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020
6	श्री आर० मनोहर उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलूरु	कर्नाटक	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), पांचवां तल, ई. तथा एफ. विंग,केंद्रीय सदन, 7 मेन- द्वितीय ब्लाक, कोरामंगला, बंगलूरु-560034
7	डा. पी० टी० सुभा उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु तथा पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), 'बी'विंग, दूसरा तल, III ब्लॉक, शास्त्री भवन, हैडास रोड, नंगमबक्कम, चेन्नई-600006

8	श्री साजी जॉर्ज उपमहानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, बंगलुरु	गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र) तथा लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र), तेलंगाना	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), द्वितीय तल, वी- विंग, केन्द्रीय सदन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, कोरामंगला, बंगलुरु-560034
9	श्री मनोज कुमार, उपमहानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), सेक्टर-11, आईएनएस-IV, विकासनगर, रिंगरोड, लखनऊ-226022
10	श्री राहुल शर्मा उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), विजय स्तम्भ, हाल नं०-201 व 205, दूसरा तल, मं० पं० नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011
11	श्री रोशन लाल साहू उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	बिहार	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), 7वां तल, ब्लॉक डी व ई, कपूरी ठाकुर सदन, जी. पी. ओ. ए. भवन, राजीव नगर थाना के नजदीक, आशियाना दीघा रोड, पटना- 800025
12	श्री संजीव बासु उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, इ विंग, डी एफ ब्लॉक, सेक्टर-1 साल्ट लेक, कोलकाता-700064
13	श्री अनुपम लाहिरी उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	ओडिशा	रा.सा.का).क्षे.सं.प्र.(., कोमेर्सिअल काम्प्लेक्स, प्रथम तल, आचार्य विहार, भुवनेश्वर- 751013
14	श्री अतानु कुमार चौधरी, उपमहानिदेशक आंचलिक कार्यालय, कोलकाता	झारखंड	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), छटा तल, महलनोबिस भवन, 164, जी० एल० टी० रोड, कोलकाता-700108
15	श्रीमति स्वपनाली भट्टाचार्य उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	असम	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), तीसरा तल, केन्द्रीय खंड, हौसेफेड काम्प्लेक्स, बजससथा रोड, ददसपुर, गुवाहाटी- 781006
16	डॉ. के० एम० सिंह उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, इम्फाल	मणिपुर	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), थेगमेईब ड लाउरंगपुरेल लेकेई, इमाइमोईनूसाना सांगलेन पी.ओ., इम्फाल-795001

17	श्री एन. मोहोनदास निदेशक, आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी	मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), छठा तल, केन्द्रीय खंड, हौसेफेड कॉम्प्लेक्स, बजससथा रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006
18	श्री ई. रेनबी जामी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोहिमा	नागालैंड	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), क्षेत्रीय कार्यालय, कोहिमा, परिवहन आयुक्त कार्यालय भवन, नागालैंड सिविल सचिवालय के सामने, कोहिमा, नागालैंड-797004
19	श्री अनिल दिगम्बर पाटिल उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, अगरतला	त्रिपुरा तथा मिजोरम	श्री राम विल्ला, नजदीक एसबीआई, पी. ओ. कुंजबन, अगरतला, त्रिपुरा-799006
20	श्रीमति सुप्रिया राँय उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई	महाराष्ट्र	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), चौथा तल, ए-2/3 विंग, निकट कोंकणभवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई-400614
21	श्री श्रीनिवास उप्पल्ला उपमहानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, नागपुर	गुजरात, दादरा तथा नागर हवेली और दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ए ब्लॉक, तीसरी मंजिल, सेमिनरी हिल्स, नागपुर- 440006
22	श्री अल्लाफ हुसैन हाजी उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	छत्तीसगढ़	रा.प्र.स.का (क्षे.स.प्र.), भगत माता कर्मा, व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, कमरा स. 8 से 25, न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छ. ग.) -492006

[फा. सं. एस एस-15201/केपेक्स/2024(इ-70522)]

रौशन कुमार चौधरी, उपमहानिदेशक

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

S.O. 4556(E).— In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), as amended in 2017 (21 of 2017), read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Statistics & Programme Implementation hereby directs Collection of Statistics on Capital Expenditure Outlook, Capital Expenditure Intention, Investment Activity Outlook and Strategies for large private sector industries through a statistical survey, hereinafter referred to as 'Forward Looking Survey on Private Corporate Sector Capex Investment Intentions', as per the details mentioned in the Schedule-I.

2. The Ministry further appoints the persons as also their assignees in office, mentioned in the Schedule II as Statistics Officers in respect of the geographical units mentioned thereof with reference to

the aforesaid direction. Each Statistics Officer shall immediately submit an undertaking in the prescribed format, namely, Form-I appended to the Collection of Statistics Rules, 2011, to the Additional Director General, Field Operations Division, National Sample Survey Office, New Delhi.

3. The persons authorized by each Statistics Officer, after submission of undertaking in the prescribed format, namely, Form-I appended to the Collection of Statistics Rules, 2011 to the Statistics Officer, would be engaged in the geographical jurisdiction of the Statistics Officer for pursuing data collection through web-based interface in CAPI.

4. The statistics collected in Forward Looking Survey on Private Corporate Sector Capex Investment Intentions schedule, will be processed by officials working at the Office of the Additional Director General, Enterprise Survey Division, Kolkata. The unit level data of the survey will not be published by the Ministry.

5. All persons engaged in any activity in respect of collection of statistics, processing of data and dissemination with respect to Forward Looking Survey on Private Corporate Sector Capex Investment Intentions are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2011.

6. Following powers have been delegated to the Statistics Officers:

a. A Statistics Officer is empowered to depute/authorize officials to pursue collection of statistics in respect of the aforementioned direction.

b. A Statistics Officer is empowered to give notice to each of the informant for furnishing information in the format, specified for the purpose of collection of statistics.

SCHEDULE-I

Subject and purpose for collection of statistics:

1. Statistics relating to Capital Expenditure Outlook, Capital Expenditure Intention, Investment Activity Outlook and Strategies for large private sector industries is collected through Forward Looking Survey on Private Corporate Sector Capex Investment Intentions.

Geographical area for collection of statistics:

2. The Forward Looking Survey on Private Corporate Sector Capex Investment Intentions is conducted in the whole of India except the villages in Andaman and Nicobar Islands which are difficult to access.

Method of data collection:

3. A Notice will be issued by each Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats and the manner in which information is required to be furnished, including submission of information in electronic form through web based interface in Computer Assisted Personal Interview (CAPI) designed for the purpose and made available to informants up to a certain date, specified in the notice.

Nature of informants for whom data may be collected:

4. Enterprises that are registered with the MCA under the Companies Act, 2013.

Period during which collection of statistics may be completed:

5. The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and would generally fall during October, 2024 to March, 2025.

Reference period:

6. Information is required to be furnished on provisional Capital Expenditure to be incurred by the enterprise in 2024-25 and Capital Expenditure intentions, Investment Activity Outlook and Investment Activity Strategy for 2025-26.

Nature of information to be collected:

7. The information required relates to Buying / selling capacity, Preferred / Alternative sectors, Preferred States/Cities, Investment strategies, Capital expenditure, Challenges and Goals of the industries in the given period.

Language in which information is to be furnished by informant:

8. An informant shall furnish information in the prescribed formats, in English.

Obligation of informant:

9. An owner or occupier or person in-charge of a company or enterprise or management, as the case may be, shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him for reference.

Nature of business records and other records which may be inspected:

10. The business records and other records will not be inspected upfront. However, in stray cases, official business records may require to be referred.

SCHEDULE-II

S.No.	Statistics Officer	Jurisdiction	Address
1.	Dr. Hardeep Singh Chopra DDG, ZO, Jaipur	Himachal Pradesh ,Jammu & Kashmir (UT) & Ladakh (UT)	NSSO Bhawan, Plot No. 55, Keshav Nagar, Lane 3, Hawa Sadak, Civil Line, Jaipur 302019
2.	Sh. Himmat Singh Raghav DDG, RO, Mohali	Punjab	NSSO (FOD), Building No. 418 Bulk Material Market, Sector 65, Phase-11, SAS Nagar, Mohali-160065.
3.	Sh. Kailash G. Sharma DDG, RO, Chandigarh	Haryana and Chandigarh (UT)	NSSO(FOD), 6 th floor, Kendriya Sadan, Sec-9A, Chandigarh -160017
4.	Sh. Nitish Kumar DDG, RO, Delhi	Delhi	NSSO (FOD), Sankhyiki Bhawan, D-Block, 4 th Floor, GPOA Building, CBD Shahdara, Delhi-110032
5.	Dr. Hansraj Yadav DDG, RO, Jaipur	Rajasthan	NSSO(FOD), 70/149-154, Patel Marg, Mansarovar, Jaipur-302020.
6.	Sh. R. Manohar DDG, RO, Bengaluru	Karnataka	NSSO (FOD), V Floor, E&F Wing, Kendriya Sadan, 17 Main-2 nd Block, Koramangala, Bengaluru -560034.
7.	Dr. P.T. Subha DDG, RO, Chennai	Tamil Nadu and Puducherry (UT)	NSSO (FOD), 'B' Wing, II Floor, III Block, Shastri Bhawan, Haddows Road, Nungambakkam, Chennai-600006.
8.	Sh. Saji George DDG, ZO, Bengaluru	Goa, Andhra Pradesh, Kerala, Andaman & Nicobar Islands (UT) and Lakshadweep (UT), Telangana	NSSO (FOD), 2 nd floor, B-Wing, Kendriya Sadan, C.G.O. complex, Komarmangala,, Bengaluru-560034.
9.	Sh. Manoj Kumar, DDG, ZO, Lucknow	Uttar Pradesh, Uttarakhand	NSSO(FOD), INS-IV, Sector-11, Vikas Nagar, Ring Road, Lucknow-226022.
10.	Sh. Rahul Sharma DDG, RO, Bhopal	Madhya Pradesh	NSSO(FOD), Vijay Stambh, Hall No. 201 & 205, 2nd Floor, M.P. Nagar, Zone-I, Bhopal-462011.

11.	Sh. Roshan Lal Sahoo DDG, RO, Patna	Bihar	NSSO(FOD), 7th Floor, Block D & E, Karpuri Thakur Sadan, GPOA Building, Near Rajiv Nagar Thana, Ashiyana Digha Road, Patna – 800025.
12.	Sh. Sanjeeb Basu DDG, RO, Kolkata	West Bengal	NSSO (FOD), CGO Complex, 2nd Floor, E-Wing, DF Block Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700064.
13.	Sh. Anupam Lahiri DDG, RO, Bhubaneswar	Odisha	NSSO (FOD), Commercial Complex, 1st Floor, Acharya Vihar, Bhubaneswar-751013.
14.	Sh. Atanu Kumar Chowdhury DDG, ZO, Kolkata	Jharkhand	NSSO (FOD), 6 th Floor, Mahalnobis Bhawan, 164, G.L.T. Road, Kolkata-700108.
15.	Smt. Swapnalee Bhattacharya DDG, RO Guwahati	Assam	NSSO (FOD), 3rd Floor, Central Block, Housefed Complex, Basistha Road, Dispur Guwahati-781006.
16.	Dr. K. M. Singh DDG, RO, Imphal	Manipur	NSSO (FOD), Thangmeiband Lourung Pural Lekei, Imaemoinusanasanglen, P.O., Imphal-795001
17.	Sh. N. Mohondas Singh Director, ZO, Guwahati	Meghalaya, Arunachal Pradesh, and Sikkim	NSSO(FOD), 6th Floor, West End Block, Housefed Complex, Basistha Road, Dispur, Guwahati, Assam -781006.
18.	Sh. E. Renbi Jami Director, RO Kohima	Nagaland	NSSO(FOD)RO Kohima, Transport Commissioner's Office Building, Opp. Nagaland Civil Secretariat, Kohima ,Nagaland- 797004
19.	Sh. Anil Digambar Patil DDG, RO, Agartala	Tripura and Mizoram	Sree Ram villa, near SBI, PO Kunjaban Agartala, Tripura -799006
20.	Smt. Supriya Roy DDG, RO, Mumbai	Maharashtra	NSSO (FOD), 4th Floor, A-2/3 Wing, Near Konkan Bhawan, CGO Complex Building, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.
21.	Sh. Srinivas Uppalla, DDG, ZO Nagpur	Gujarat, Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu (UT)	CGO Complex, A Block, IIIrd Floor, Seminary Hills, Nagpur- 440006
22.	Sh. Altaf Hussain Haji DDG, RO, Raipur	Chhattisgarh	NSSO (FOD), 2nd Floor, Bhakta Mata Karma Commercial Complex, Room No.8-25, New Rajendra Nagar, Raipur-492006

[F. No. SS-15201/CAPEX/2024(e-70522)]

RAUSHAN KUMAR CHOUDHARY, D. D. General